

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

बनाम
 श्रीमाधोपुर नं. सन

किस्म मुकदमा

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तालीख
 में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	
17.02.2023	<p>पत्रावली द्वारा पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील कादीगण ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र कायम मुकामान वादीगण संख्या 14, 15, 22, 27, 34, 39 एवं प्रतिवादी संख्या 16 का मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया। जिसकी नकल वकील प्रतिवादीगण को दिलाई जाने पर वकील प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र कायम मुकामान मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रार्थना पत्र पर मय हस्ताक्षर अंकित किये। अतः वकील प्रतिवादीगण की अवापति के आधार पर प्रार्थना पत्र कायम मुकामान वादीगण संख्या 14, 15, 22, 27, 34, 39 एवं प्रतिवादी संख्या 16 का मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किये जाने की अनुमति दी जाती है तथा मृत्तक वादीगण संख्या 14, 15, 22, 27, 34, 39 एवं मृत्तक प्रतिवादी संख्या 16 के विधिक वारिसान् को प्रतिस्थापित कर रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील वादीगण ने संशोधित शीर्षक ब्रह्म पत्र पेश किया। जिसकी नकल वकील प्रतिवादीगण को दिलाई जाकर संशोधित शीर्षक वादपत्र को शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते पेश होने जवाब दावा प्रतिवादीगण संख्या 16 पत्रावली दिनांक 17.02.2023 को पेश हो।</p>	



(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)
 उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

17.02.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रमुख पक्षों को उपस्थित। प्रतिवादी अहकाम 16/1 से 16/5 की ओर से श्री सुनाथ कुमार वर्मा एड0 ने उपस्थित होकर इकराली जवाब दावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में कुर्रजात रिपोर्ट तहरीरदार श्रीमाधोपुर से दिनांक 27.10.2022 को प्राप्त हो चुकी है। उक्त प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के अनुसार वादपत्र में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लिखित में अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी ने अपनी सहमति व्यक्त की। अतः वकील वादी अहकाम द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, बंटवारा एवं स्थान निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फसल अर्थात् लोक न्याय तहसील अखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जागा।

तहरीरदार
श्रीमाधोपुर
द्वारा प्रस्तुत
रिपोर्ट अन्तिम
डिक्री जारी
किये जाने में
कोई आपत्ति नहीं है

(सुनाथ कुमार वर्मा)



(सुनाथ कुमार वर्मा)



(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)